आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर नगर मजिस्टेट,प्रथम
मण्डल :बरेली,जनपद :बरेली,तहसील :बरेली
वाद संख्या :-01026/2018
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201812130101026
जंग बहादुर सिंह आदि बनाम विनोद सिंह
अंतर्गत धारा:- 116, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

जंग बहादुर सिंह आदि बनाम विनोद कुमार सिंह

प्रारम्भिक डिग्री दिनांक 30.01.2018 के उपरान्त मुताबिक समझौतानामा दिनांकित 18.01.2018 के आधार पर कुरा लेखपाल की बाबत प्रतिवादी श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांकित 07.07.2018 का निस्तारण

यह प्रकरण दिनांक 30.01.2018 को न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रारम्भिक डिग्री के परिप्रेक्ष्य में लेखपाल के कुराजात दिनांक 14.06.2018 पर मात्र प्रतिवादी नं0 1 विनोद कुमार सिंह आदि की ओर से दिनांक 07.07.2018 को लेखपाल रिपोर्ट बाबत कुराजात पर आपत्ति यह कथन कर की गयी कि उपरोक्त वाद में सभी फरीकैन के बीच में तस्फीया हो गया था, तस्फीया के साथ एक नक्शा पैमाईश दाखिल किया था। कुरा नं0 39/1/1 रकवई 6327वर्गमीटर का बनाया गया था तथा इसी प्रकार कुरा नं0 39/1/2 क्षे0 6327वर्गमीटर का था और तृतीय कुरा नं0 39/1/3 रकवई 6519वर्गमीटर का बना था, यह कुरा इसलिए अधिक बना था क्योंकि इस कुरे में लगभग 200वर्गमीटर भूमि हाईटेंशन लाइन के नीचे है, इस पर निर्माण कार्य नहीं हो सकता है, इसलिए कुरा नं0 39/1/3 को अधिक भूमि दी गयी थी तथा कुरा नं0 39/1/4 रकवा 6135वर्गमीटर का बना था, क्योंकि इसमें भी हाईटेंशन लाइन आ रही है। उसकी कम करके कुरा नं0 39/1/4 /8 में अधिक रकवा दिया तथा दो तरफ चकरोड भी है, लेखपाल द्वारा दाखिल कुरे गलत हैं। मुताबिक तस्फीयानामा प्रारम्भिक डिक्री नहीं है। यदि वादी तस्फीयानामा के विरुद्ध कुरे दाखिल कराना चाहता है, तो कुरा नं0 39/1/3 वादी को दिया जावे। कुरा नं0 39/1/2 आपत्तिकर्त्ता को दिया जावे और कुरा नं0 39/1/4 सुषमा देवी को दिया जावे, जबकि कुराजात तस्फीयानामे के विरुद्ध हैं। लेखपाल की रिपोर्ट बाबत कुराजात दिनांकित 14.09.2018 निरस्त की जावे और समझौतानामा दिनांक 18.01.2018 के अनुसार कुरे बनाया जावें।

उक्त आपत्ति के प्रतिउत्तर में प्रतिआपत्ति वादी जंग बहादुर सिंह की ओर से दिनांक 31.10.2018 को प्रस्तुत कर कहा गया कि आपत्ति विनोद कुमार तथ्यों एवं विधियों के विरुद्ध है, लेखपाल महोदय द्वारा सभी पक्षकारों की सहमति से कुरा नं0 39/1/1, 39/1/2, 39/1/3 एवं 39/1/4 सृजित किये गये हैं तथा अनुसार कुरा नं0 39/1/1 विपक्षी श्याम बहादुर सिंह, कुरा नं0 39/1/2 श्रीमती सुषमा देवी, कुरा नं0 39/1/3 संयुक्त रुप से प्रतिवादीगण श्रीमती जामवती एवं उनके पुत्रगण भानु प्रताप सिंह व विनोद कुमार सिंह तथा कुरा नं0 39/1/4 वादी जंग बहादुर सिंह को मयकब्जा व दखल सौंप दिया गया है, सभी पक्षकारगण ने अपने अपने कुराओं पर वास्तविक कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया है व स्वमेव तूदाबन्दी करा ली है । केवल विपक्षी विनोद कुमार द्वारा कुरा नं0 39/1/3 जो संयुक्त रुप से श्रीमती जामवती एवं उनके पुत्रगण भानु प्रताप सिंह व विनोद कुमार के कब्जा व दखल में वहैसियत स्वामीगण सौंप दिया गया है, पर आपत्ति की गयी है और अन्य विपक्षीगण श्रीमती जामवती आदि की कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। कुरा नं0 39/1/3 के संयुक्त कुरेदार स्वामीगण में से श्री भानु प्रताप सिंह ने अपने 1/3 भाग से अधिक भूमि विभिन्न विक्रय विलेखों द्वारा विभिन्न लोगों को वितरित किये और सभी क्रेतागण ने अपने अपने नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा लिये हैं, पक्षकारान चाहें तो कुरा नं0 39/1/1 श्याम बहादुर सिंह अपना यह कुरा छोड़कर कुरा नं0 39/1/4 जो वादी जंग बहादुर सिंह को दिया गया है, से बदल सकते हैं, अन्यथा आपत्तिकर्त्ता को लगता है कि संयुक्त कुरा नं0 39/1/3 उनकी माँ श्रीमती जामवती भाई भानु प्रताप सिंह एवं स्वयं विनोद कुमार को दिया गया है, का क्षेत्रफल कम है तो वादी अपने प्राप्त कुरा नं0 39/1/4 से 200 वर्गमीटर आपत्तिकर्त्ता को

कुरा नं0 39/1/3 के अलावा भी देने को तैयार है, तदानुसार अन्तिम आज्ञप्ति बनाये जाने के आदेश पारित किये जायें।

उक्त प्रति आपत्ति के विरुद्ध दिनांक 24.12.2018 को विनोद कुमार आदि की ओर से जबाबुल जबाब आपत्ति प्रस्तुत कर कहा गया कि उपरोक्त वाद में फरीकैन पक्षकारान के मध्य के बीच आपसी समझौता हो गया है, समझौते के अनुसार गाटा संख्या 39/1 को चार भागों में बांटा गया है तथा तस्फीयानामा के साथ नक्शा भी दाखिल किया है, विवादित भूमि में लगभग 200 मीटर के ऊपर से हाईटेंशन लाइन निकाली गयी है, इसलिए फरीकैन की रजामन्दी से 39/1/3 आपत्तिकर्त्तागण को दिया जाये। न्यायालय ने तस्फीयानामा मय नक्शा स्वीकार कर लेखपाल को निर्देश दिया कि तस्फीयानामा के अनुसार कुराजात दाखिल करें, किन्तु लेखपाल ने तस्फीयानामें के अनुसार कुरे न बनाकर 200मीटर भूमि प्रतिवादी विनोद कुमार आदि के कुरे में निकाल दिया है। वादी ने तस्फीयानामें के अनुसार कुरे बनाया जाना स्वीकार किया है। कुरा नं0 3 के अनुसार कुरे नं0 3 की भूमि पर कब्जा चाहिए किन्तु वादी ने कुरे नं0 3 की भूमि को छोड़ा नहीं है, जबकि लिखित रुप में तस्फीयानामा व कब्जा स्वीकार किया है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों को ध्यानपूर्वक सुना गया और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्षियों का गहन अध्ययन किया उपरोक्त वाद वादी जंग बहादुर सिंह आदि ने ग्राम हरुनगला स्थित आराजी गाटा संख्या 39/1 रकवा 3.0302हे0, 219 रकवा 0.262हे0, 220 रकवा 0.164हे0 के द्वारा खाते के विभाजन का दायर किया गया था। प्रस्तुत वाद में उभयपक्षों द्वारा दिनांक 18.01.2018 को समझौतानामा मय नक्शा कुरा दाखिल किये जाने पर समझौतेनामें के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय द्वारा दिनांक 30.01.2018 को प्रारम्भिक डिक्री आदेश पारित कर गाटा संख्या 39/1 रकवा 3.933हे0 में वादी जंग बहादुर सिंह व विद्या देवी का सम्वेत रुप से 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 6 विनोद कुमार, भानु प्रताप सिंह व श्रीमती जामवती का पृथक–पृथक 1/12 भाग तथा समेकित 1/4 भाग व प्रतिवादी संख्या 4 श्याम बहादुर सिंह का 1/4 भाग घोषित किया जाता है तथा गाटा संख्या 219 क्षे0 0.262हे0, 220 क्षे0 0.164हे0 में वादी जंग बहादुर सिंह का 1/4 भाग प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 6 विनोद कुमार सिंह, भानु प्रताप सिंह व श्रीमती जामवती का पृथक–पृथक 1/12 भाग तथा समेकित रुप से 1/4 भाग प्रतिवादी संख्या 3 सुषमा देवी का 1/4 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 4 श्याम बहादुर सिंह का 1/4 भाग घोषित कर हल्का लेखपाल को कुरा नक्शा नजरी तैयार करने को निर्देशित किया गया। लेखपाल द्वारा दिनांक 14.06.2018 को कुरा नक्शा नजरी मुताबिक हिस्सा पक्षकारान समझौतेनामें के परिप्रेक्ष्य में तैयार कर दाखिल किया गया है। लेखपाल द्वारा दाखिल कुराजात पर प्रतिवादी विनोद कुमार द्वारा आपत्ति केवल गाटा संख्या 39/1 के कुराओं के कुराजात के सम्बन्ध में की गयी कि लेखपाल द्वारा समझौतानामा दिनांक 18.01.2018 के अनुरुप कुरे दाखिल नहीं किये गये हैं। समझौतानामा दिनांक 18.01.2018 के अन्तर्गत पक्षकारों के मध्य गाटा संख्या 39/1 क्षे0 3.0302हे0 के कुरा बंटवारा 39/1/4 रकवा 0.6135हे0 तथा 39/1/8 क्षे0 0.1250हे0 कुरा नं0 4 रंग लाल वादी जंग बहादुर सिंह पुत्र स्व0 नारायन दास को तथा गाटा संख्या 39/1/2 रकवा 0.6327हे0 एवं 39/1/7 क्षे0 0.1250हे0 कुरा नं0 2 रंग सफेद प्रतिवादिनी श्रीमती सुषमा देवी पत्नी स्व0 जगतपाल सिंह जिसका हस्तांतरण श्रीमती सुषमा देवी द्वारा जंग बहादुर सिंह पुत्र स्व0 नारायन दास व श्रीमती विद्यावती उर्फ विद्या देवी पत्नी जंग बहादुर सिंह के पक्ष में किये जाने पर नामान्तरण राजस्व अभिलेख में किया गया है, को एवं गाटा संख्या 39/1/1 रकवा 0.6327हे0 व 39/1/5 रकवा 0.1250हे0 कुरा नं0 1 रंग हरा प्रतिवादी श्याम बहादुर सिंह पुत्र नारायन दास को तथा गाटा संख्या 39/1/3 रकवा 0.6519हे0 व गाटा संख्या 39/1/6 रकवा 0.1250हे0 कुरा नं0 3 रंग नीला संयुक्त रुप से प्रतिवादीगण विनोद कुमार सिंह व भानु प्रताप सिंह पुत्रगण उमा शंकर सिंह व श्रीमती जामवती देवी पत्नी उमा शंकर सिंह को आवंटित किया जाये एवं गाटा संख्या 220/1 रकवा 0.106हे0 कुरा नं0 1 रंग हरा प्रतिवादी श्याम बहादुर सिंह पुत्र नारायन दास को तथा 219/1 रकवा 0.048हे0, 220/2 रकवा 0.058हे0 रंग नीला कुरा नं0 2 संयुक्त रुप से प्रतिवादीगण विनोद कुमार सिंह व भानु प्रताप सिंह पुत्रगण स्व0 उमाशंकर सिंह व श्रीमती जामवती देवी पत्नी स्व0 उमा शंकर सिंह को तथा गाटा संख्या 219/2 रकवा 0.160हे0 कुरा नं0 3 रंग सफेद प्रतिवादिनी श्रीमती सुषमा देवी पत्नी

पृष्ठ संख्या :

स्व0 जगतपाल सिंह तथा गाटा संख्या 219/3 क्षे0 0.160हे0 कुरा नं0 4 रंग लाल वादी जंग बहादुर सिंह पुत्र स्व0 नारायन दास को आवंटित किया जाना न्यायसंगत है, यह कुरे पक्षकारों के मध्य मुताबिक वादीय आराजी पर कब्जा व दखल के अनुसार समझौतानामा के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश नियमावली नियम 131के अन्तर्गत बनाये गये हैं और नैसर्गिक सिद्धांत के अनुसार लेखपाल द्वारा प्ररतुत कुरे आंशिक रुप गाटा संख्या 220, 219 से स्वीकार कर मुताबिक समझौतानामा स्वीकृत कर आवंटित किया जाना उचित है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम हरुनगला तहसील व जिला बरेली में स्थित गाटा संख्या 39/1/4 रकवा 0.6135हे0 तथा 39/1/8 रकवा 0.1250हे0 कुरा नं0 4 रंग लाल वादी जंग बहादुर सिंह पुत्र स्व0 नारायन दास को तथा गाटा संख्या 39/1/2 रकवा 0.6327हे0 तथा 39/1/7 रकवा 0.1250हे0 कुरा नं0 2 रंग सफेद प्रतिवादिनी श्रीमती सुषमा देवी जो सुषमा देवी द्वारा हस्तांतरण किये जाने पर श्री जंग बहादुर पुत्र स्व0 श्री नारायन दास एवं श्रीमती विद्यावती उर्फ विद्या देवी पत्नी जंग बहादुर सिंह के नाम अंकित है को एवं गाटा संख्या 39/1/1 रकवा 0.6327हे0 तथा 39/1/5 रकवा 0.1250हे0 कुरा नं0 1रंग हरा प्रतिवादी श्याम बहादुर सिंह पुत्र स्व0 नारायन दास को तथा गाटा संख्या 39/1/3 रकवा 0.6519हे0 व गाटा संख्या 39/1/6 क्षे0 0.1250हे0 कुरा नं0 3 रंग नीला संयुक्त रुप से प्रतिवादीगण विनोद कुमार सिंह, भानु प्रताप सिंह पुत्रगण उमा शंकर सिंह व श्रीमती जामवती देवी पत्नी स्व0 उमा शंकर सिंह को आवंटित किया जाता है एवं गाटा संख्या 220/1 रकवा 0.106हे0 कुरा नं0 1 रंग हरा प्रतिवाद श्याम बहादुर सिंह पुत्र स्व0 नारायन दास को तथा गाटा संख्या 219/1 रकवा 0.048हे0, 220/2 रकवा 0.058हे0 रंग नीला कुरा नं0 2 संयुक्त रुप से प्रतिवादीगण विनोद कुमार सिंह व भानु प्रताप सिंह पुत्रगण स्व0 उमा शंकर सिंह व श्रीमती जामवती देवी पत्नी स्व0 उमा शंकर सिंह के तथा गाटा संख्या 219/2 रकवा 0.107हे0 कुरा नं0 3 रंग सफेद प्रतिवादिनी श्रीमती सुषमा देवी पत्नी स्व0 जगत पाल सिंह व गाटा संख्या 219/3 रकवा 0.107हे0 कुरा नं0 4 रंग लाल वादी जंग बहादुर सिंह पुत्र स्व0 नारायन दास को आवंटित किया जाता है। समझौतानामा दिनांक 18.01.2018 आदेश का अंग रहेगा तद्नुसार अन्तिम डिक्री बनायी जावे और बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखगार संचित की जावे।

दिनांक- 22-1-19

(जलालुद्दीन)
असिस्टेंट कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)/
अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम)
बरेली

न्यायालय अपर नगर मजिस्ट्रेट बरेली

छाया प्रतिलिपि
5/2/19
अहलमद
अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम)
बरेली

कोर्ट फी 5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA

कोर्ट फी 2 रु. Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

नकल का नाम - [illegible]
रजिस्ट्रेशन सं० - 274/19
प्रार्थना पत्र का दिनांक - 4/2/19
प्रतिलिपि बनाने का दिनांक - 5/2/19
नोटिस बोर्ड का दिनांक - 5/2/19
शुल्क - 7/-
बनाने वाले के हस्ताक्षर - [illegible]
मिलानकर्ता के हस्ताक्षर - [illegible]
कुल शब्द - 1400 [illegible]

न्यायालय असिस्टेन्ट कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)/अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) बरेली।

अन्तिम डिकी

कं0वाद संख्या T201812130101026

अन्तर्गत धारा 116 उ0प्र0रा0सं0–2006
ग्राम–हरूनगला, परगना व तहसील व
जिला बरेली।

जंग बहादुर सिंह आदि   बनाम   विनोद कुमार सिंह

दावावताइन

(अ) डिकी बावत बंटवारा वहक वादीगण एवं विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की पारित की जावे कि खेत खसरा नं0 39/1 में से वादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 भाग एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/4 भाग (1/8 भाग प्रत्येक) व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 भाग घोषित कर अलग–अलग कुरे एवं भाग बनाकर अलग–अलग कब्जा व दखल दिलाया जावे। (ब) इसी प्रकार खेत खसरा नम्बरान 219 रकवा 0.2620हे0 एवं खेत खसरा नं0 220 रकवा 0.1640हे0 प्रत्येक में से वादी संख्या–1 जंग बहादुर सिंह का 1/4 भाग एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/4 भाग (1/8 भाग प्रत्येक) तथा प्रतिवादिनी संख्या–3 श्रीमती सुषमा देवी का 1/4 भाग एवं प्रतिवादी संख्या 4 का श्याम बहादुर सिंह का 1/4 भाग घोषित कर वाद बटवारा अलग–अलग कुरे बनाकर अलग–अलग कब्जा व दखल दिलाया जावे। (स) कोई अन्य अनुतोष जो मुफीद वादीगण हो दिलाया जाये। (द) खर्चा वाद वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

व हाजिरी श्री सुरेश चन्द्र सिन्हा, एडवोकेट   वादीगण
श्री शरद शर्मा, एडवोकेट   प्रतिवादी
पेश होकर यह डिकी हुक्म हुआ कि–

आदेश

आदेश किया गया कि आदेश किया जाता है कि ग्राम हरुनगला तहसील व जिला बरेली में स्थित गाटा संख्या 39/1/4 रकवा 0.6135हे0 तथा 39/1/8 रकवा 0.1250हे0 कुरा नं0 4 रंग लाल वादी जंग बहादुर सिंह पुत्र स्व0 नारायन दास को तथा गाटा संख्या 39/1/2 रकवा 0.6327हे0 तथा 39/1/7 रकवा 0.1250हे0 कुरा नं0 2 रंग सफेद प्रतिवादिनी श्रीमती सुषमा देवी जो सुषमा देवी द्वारा हस्तांतरण किये जाने पर श्री जंग बहादुर पुत्र स्व0 श्री नारायन दास एवं श्रीमती विद्यावती उर्फ विद्या देवी पत्नी जंग बहादुर सिंह के नाम अंकित है को एवं गाटा संख्या 39/1/1 रकवा 0.6327हे0 तथा 39/1/5 रकवा 0.1250हे0 कुरा नं0 1रंग हरा प्रतिवादी श्याम बहादुर सिंह पुत्र स्व0 नारायन दास को तथा गाटा संख्या 39/1/3 रकवा 0.6519हे0 व गाटा संख्या 39/1/6 क्षे0 0.1250हे0 कुरा नं0 3 रंग नीला संयुक्त रुप से प्रतिवादीगण विनोद कुमार सिंह, भानु प्रताप सिंह पुत्रगण उमा शंकर सिंह व श्रीमती जामवती देवी पत्नी स्व0 उमा शंकर सिंह को आवंटित किया जाता है एवं गाटा संख्या 220/1 रकवा 0.106हे0 कुरा नं0 1 रंग हरा प्रतिवाद श्याम बहादुर सिंह पुत्र स्व0 नारायन दास को तथा गाटा संख्या 219/1 रकवा 0.048हे0, 220/2 रकवा 0.058हे0 रंग नीला कुरा नं0 2 संयुक्त रुप से प्रतिवादीगण विनोद कुमार सिंह व भानु प्रताप सिंह पुत्रगण स्व0 उमा शंकर सिंह व श्रीमती जामवती देवी पत्नी स्व0 उमा शंकर सिंह के तथा गाटा संख्या 219/2 रकवा 0.107हे0 कुरा नं0 3 रंग सफेद प्रतिवादिनी श्रीमती सुषमा देवी पत्नी स्व0 जगत पाल सिंह व गाटा संख्या 219/3 रकवा 0.107हे0 कुरा नं0 4 रंग लाल वादी जंग बहादुर सिंह पुत्र स्व0 नारायन दास को आवंटित किया जाता है। समझौतानामा दिनांक 18.01.2018 आदेश का अंग रहेगा तदानुसार अन्तिम डिक्री बनायी जावे और बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखगार संचित की जावे।

दिनॉक:– 22.01.2019

हस्ताक्षर अपठित
असिस्टेन्ट कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)/
अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम)
बरेली।

1. हमारे दस्तखत और मोहर अदालत से आज सादिक हुई।
2. दस्तखत साहब कलेक्टर/असिस्टैंट कलेक्टर
3. दस्तखत सरिश्तेदार या डिकी नवीस
4. दस्तखत वकील वादी/प्रतिवादी

असिस्टेन्ट कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)/
अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम)
बरेली।

छाया प्रतिलिपि
अहलमद
अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम)
बरेली

ग्राम- हरूनगला तहसील व जिला - बरेली

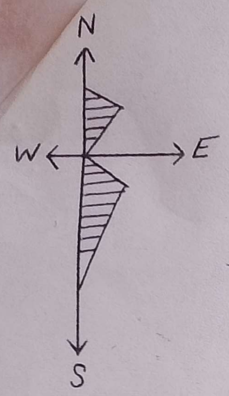

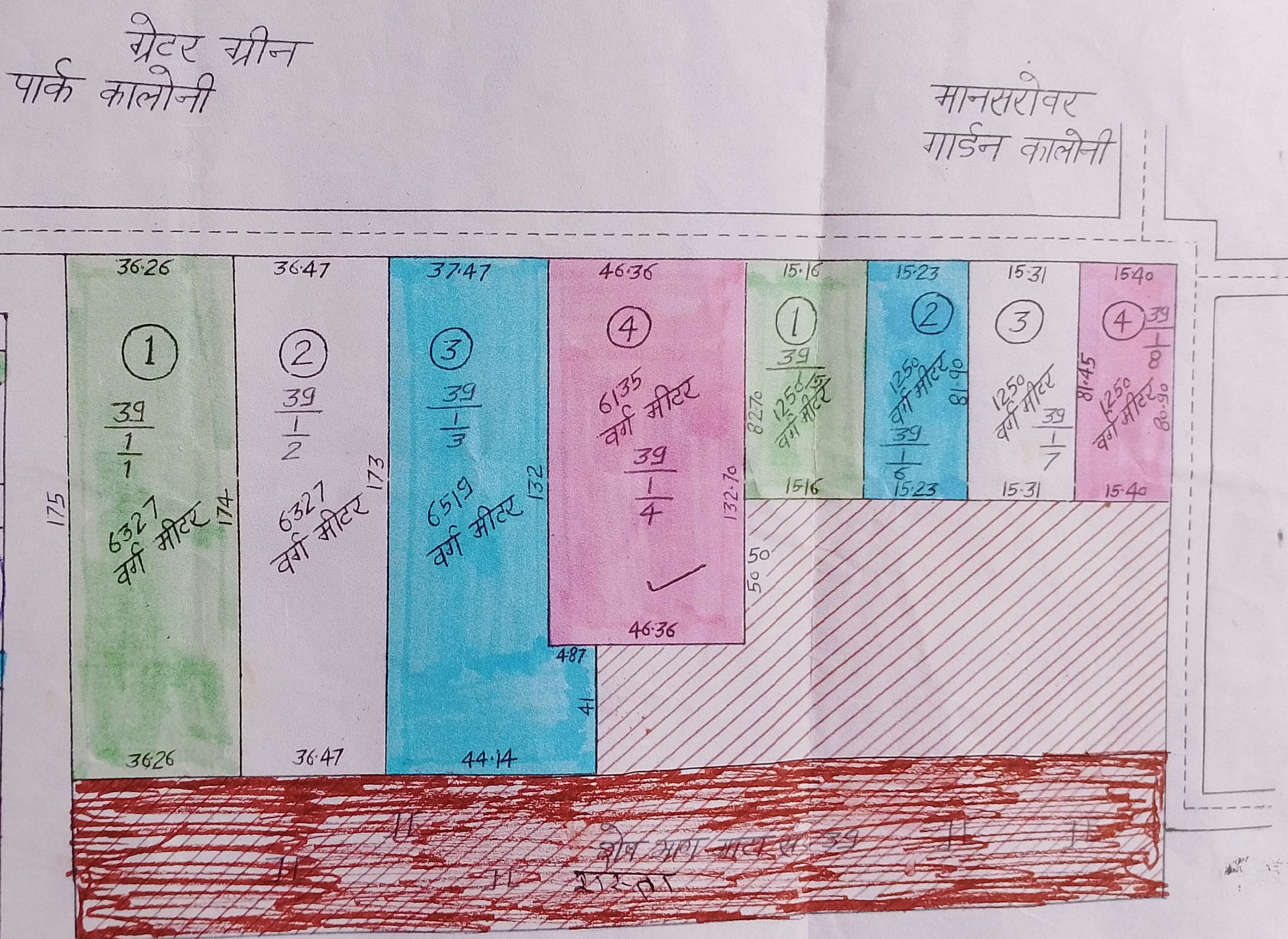

क्र.सं.	गाटा सं.	क्षेत्रफल	रंग
1	39/1/1	0.633	
	39/1/5	0.125	हरा
	2 किता	0.758	
2	39/1/2	[illegible]	
	39/1/6	0.125	सफेद
	2 किता	0.758	
3	39/1/3	0.652	
	39/1/7	0.125	नीला
	2 किता	0.777	
4	39/1/4	0.614	
	39/1/8	0.125	लाल
	2 किता	0.739	